



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
 (उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
 14-अशोक मार्ग, लखनऊ



दूरभाष : 0522-2288868

CIN US2201UP1999SGC024928

Email : ce_hydel@uopcl.org

सं०।/6394/2025/HYDLOHOUS(123)/1/2025 दि०11-03-2025

परिपत्र

इस कार्यालय के पत्रांक 1155-अ-7/आवास आवंटन नीति दि० 11-11-2024 के द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों की आवंटन नीति-2024 जारी किया गया है। जिसके अनुक्रम में माह जनवरी 2025 हेतु जारी की गयी रिक्त आवासों की नोटिस सं० 01/2025/Lucknow के सापेक्ष इस कार्यालय में प्रारूप-01 व प्रारूप-02 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष इस कार्यालय के ज्ञाप सं० 1/4345/2025 दि० 31-01-2025 द्वारा आवास आवंटन किया गया है।

उक्त आवंटन प्रक्रिया में कुछ कार्मिकों द्वारा अपना पदनाम, जनपद-लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्म तिथि गलत सूचित किये जाने के कारण उक्त आवास आवंटन का निरस्तीकरण करना पडा तथा पुनः संशोधित आवास आवंटन आदेश 1/4920/2025 दि० 13-02-2025 जारी करना पडा। जिसके कारण माह फरवरी 2025 में की जाने वाली आवास आवंटन की प्रक्रिया भी संपादित नहीं की जा सकी।

उक्त के दृष्टिगत आवास आवंटन समिति द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्मिक, जो अग्रेतर आवास आवंटन हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने प्रारूप-01 व प्रारूप-02 में भरी जाने वाली सूचना की जांच करके ही इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

साथ ही आवास आवंटन समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक के प्रारूप-01 अथवा प्रारूप-02 में गलत सूचना अंकित होने के कारण आवास आवंटन प्रक्रिया बाधित होती है तो उस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किये जाने की संस्तुति प्रदान कर दी जायेगी।

अध्यक्ष

आवास आवंटन समिति

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता(वेब), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को कारपोरेशन की वेबसाईट के 'कर्मचारी कॉर्नर' के 'विभागीय आवास आवंटन' के अन्तर्गत अपलोड करने का कष्ट करें।



(सूरज पाल)

संयोजक

आवास आवंटन समिति
कृते मुख्य अभियंता(हाइड्रिल)